भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3275

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

उपदान की अधिकतम सीमा

3275. श्री श्याम सिंह यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकार ने उपदान की सीमा 10 लाख से बढाकर कर 20 लाख कर दी है जो सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1.1.2016 से प्रभावी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को सरकारी उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर उपदान भुगतान की सीमा को दोगुना करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 29.03.2018 से प्रभावी रूप से निजी और सरकारी क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिए बढा हुआ उपदान कार्यान्वित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भेदभाव और दोहरे मानकों के क्या कारण हैं; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति 01.01.2016 से कर्मचारियों के उपदान की सीमा को बढाने के लिए क्या सुधरात्मक कदम उठाए गये हैं?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा को दिनांक 01.01.2016 से 10 लाख रूपये से बढाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है।

(ख) से (ङ): दिनांक 01.01.2016 के पूर्वव्यापी प्रभाव से अधिनियम के अंतर्गत बढ़े हुए उपदान का लाभ प्रदान करने का अनुरोध के संबंध में व्यक्ति विशेष, एसोसिएशनों, लोक प्रतिनिधियों से पत्र/अभिवेदन/शिकायतें आदि प्राप्त हुई हैं।

दिनांक 28.03.2018 को संसद द्वारा उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन के उपरांत, अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 29.03.2018 से प्रभावी उपदान की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये कर दिए जाने संबंधी तद्नुरूपी अधिसूचना दिनांक 29.03.2018 को सरकार द्वारा जारी की गई थी। पूर्व अवसरों पर भी, उपदान राशि की सीमा को भावी तारीख से ही बढ़ाया गया था।

*****